केंद्रीय बजट 2025-26 का विश्लेषण

बजट की मुख्य झलकियां

- **व्यय**: सरकार द्वारा 2025-26 में 50,65,345 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 7.4% अधिक है। ब्याज भुगतान कुल व्यय का 25% और राजस्व प्राप्तियों का 37% है।
- **प्राप्तियां**: 2025-26 में प्राप्तियां (उधारियों के अतिरिक्त) 34,96,409 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से लगभग 11.1% अधिक है। कर राजस्व जो प्राप्तियों का प्रमुख हिस्सा है, उसके भी 2024-25 के संशोधित अनुमान से 11% बढ़ने की उम्मीद है।
- **जीडीपी**: सरकार ने 2025-26 में 10.1% की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है (यानी, वास्तविक विकास जमा मुद्रास्फीति)।
- **घाटा**: 2025-26 में राजस्व घाटा जीडीपी के 1.5% पर लक्षित है। यह 2024-25 के संशोधित अनुमान 1.9% से कम है। 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.4% पर लक्षित है जो 2024-25 में जीडीपी के 4.8% के संशोधित अनुमान से कम है।
- **ऋण**: केंद्र सरकार का लक्ष्य मार्च 2031 तक अपनी बकाया देनदारियों को जीडीपी के लगभग 50% तक कम करना है। 2025-26 में बकाया देनदारियां जीडीपी का 56.1% होने का अनुमान है।

फाइनांस बिल में मुख्य कर प्रस्ताव

- **नई आयकर व्यवस्था में बदलाव**: नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। प्रस्तावित कर संरचना तालिका 1 में प्रदर्शित है। 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कर योग्य आय पर 100% छूट मिलेगी। पहले यह सिर्फ सात लाख रुपए तक की आय पर लागू था। पुरानी कर व्यवस्था अपरिवर्तित रहेगी।

तालिका 1: नई कर व्यवस्था में टैक्स स्लैब

कर दर	मौजूदा इनकम स्लैब	प्रस्तावित इनकम स्लैब
शून्य	3 लाख रुपए तक	4 लाख रुपए तक
5%	3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए	4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए
10%	7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए	8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए
15%	10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए	12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए
20%	12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए	16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए
25%	-	20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए
30%	15 लाख रुपए से अधिक	24 लाख रुपए से अधिक

- **अनुपालन तंत्र**: किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा दो से बढ़ाकर चार वर्ष कर दी गई है, जिसमें तीसरे और चौथे वर्ष के लिए क्रमशः आयकर और ब्याज पर 60% और 70% का जुर्माना लगाया जाएगा।
- **टीडीएस और टीसीएस के लिए सीमाओं में बढ़ोतरी**: किराये पर टीडीएस की सालाना सीमा छह लाख रुपए होगी। रेमिटेंस पर टीसीएस की सीमा सात लाख रुपए से बढ़कर 10 लाख रुपए हो गई है। अगर किसी निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान के ऋण से शिक्षा के लिए रेमिटेंस होता है तो उस राशि तक टीसीएस नहीं वसूला जाएगा। ब्याज और लाभांश के लिए टीडीएस या टीसीएस की न्यूनतम सीमा भी बढ़ा दी गई है।
- **सीमा शुल्क**: कुछ वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है लेकिन कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) पेश किया गया है। कुल कर पहले के स्तर के समान ही बना हुआ है। हालांकि सीमा शुल्क से उपकर को बदल दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों के साथ कम अनुपात में धनराशि साझा की जाएगी। इन वस्तुओं में सोलर सेल और मोटर वाहन शामिल हैं।

PRS Legislative Research ▪ Institute for Policy Research Studies
3rd Floor, Gandharva Mahavidyalaya ▪ 212, Deen Dayal Upadhyaya Marg ▪ New Delhi – 110002
Tel: (011) 43434035, 23234801 ▪ www.prsindia.org

- **स्टार्टअप्स के लिए आयकर छूट**: 1 अप्रैल, 2025 तक निगमित स्टार्टअप्स को फिलहाल संचालन के पहले 10 वर्षों के दौरान लगातार तीन वर्षों तक आयकर छूट का लाभ मिलता है। इस अवधि को 1 अप्रैल, 2030 तक शामिल स्टार्टअप्स को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया है।
- **अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी)**: कई कर छूटों के लिए आईएफएससी इकाई के संचालन की शुरुआत की तारीख 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दी गई है। जहाजों को पट्टे पर देने वाली इकाइयों की इक्विटी के हस्तांतरण जैसी कुछ गतिविधियों के लिए कर छूट दी गई है या बढ़ा दी गई है।
- **गैर सरकारी संगठन**: सेक्शन 12ए के तहत कर छूट पांच वर्ष के लिए वैध है, और उसके बाद रीन्यूअल की जरूरत होती है। पिछले दो वर्षों में प्रत्येक में पांच करोड़ रुपए तक की आय वाले संस्थानों के लिए वैधता बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है।

नीतियों की झलकियां

- **वित्त एवं अर्थव्यवस्था:** बीमा क्षेत्र में उन कंपनियों के लिए एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी जाएगी जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करती हैं। नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा।
- **गवर्नेंस:** रेगुलेटरी सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा ताकि गैर-वित्तीय क्षेत्र के सभी रेगुलेशंस, प्रमाणपत्रों, लाइसेंस और अनुमतियों की समीक्षा की जा सके। समिति एक वर्ष के भीतर अपने सुझाव देगी। वर्तमान वित्तीय रेगुलेशंस के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के तहत एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। यह वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए एक रूपरेखा भी तैयार करेगा। 2025 में राज्यों का एक निवेश मित्रता सूचकांक लॉन्च किया जाएगा। कई कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को अपराधमुक्त करने के लिए जन विश्वास बिल 2.0 पेश किया जाएगा।
- **उद्योग एवं वाणिज्य:** क्रेडिट की सुविधा बढ़ाने के लिए क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा: (i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए पांच करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए, (ii) स्टार्ट-अप्स के लिए 10 करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए, और (iii) निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ रुपए तक। एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा कम से कम दोगुनी की जाएगी। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए योजना के पहले वर्ष के भीतर 5 लाख रुपए की क्रेडिट सीमा वाले 10 लाख क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर**: इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रत्येक मंत्रालय परियोजनाओं की तीन वर्ष की पाइपलाइन तैयार करेगा जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में कार्यान्वित किया जा सकता है। 2025-30 के लिए दूसरी परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना शुरू की जाएगी। भूमि रिकॉर्ड और शहरी नियोजन को आधुनिक बनाने के लिए नेशनल जियोस्पैशियल मिशन शुरू किया जाएगा। इंडिया पोस्ट को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन के रूप में तब्दील किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में कई सेवाएं प्रदान करने के लिए इसे फिर से स्थापित किया जाएगा। अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी में सुधार और चार करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए एक संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी। 25,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ एक समुद्री विकास कोष स्थापित किया जाएगा जिसमें सरकार का 49% योगदान होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
- **ऊर्जा**: बिजली वितरण सुधारों और अंतर-राज्य ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ाने के आधार पर राज्यों को जीएसडीपी का 0.5% अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी। परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु परमाणु ऊर्जा एक्ट और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व एक्ट में संशोधन किया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा।
- **शहरी एवं ग्रामीण विकास**: शहरों के विकास की परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष स्थापित किया जाएगा। स्ट्रैस्ड प्रॉजेक्ट्स में एक लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की जाएगी।

- **कृषि**: केंद्र सरकार दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए छह वर्ष का मिशन शुरू करेगी। केंद्रीय एजेंसियां अगले चार वर्षों में किसानों तीन दालें खरीदेंगी, जितना वे पेशकश करेंगे। इसके अलावा हाई-यील्ड वैरायटी के बीजों की उपलब्धता और कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में उत्पादकता और फसल विविधीकरण में सुधार के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना लागू की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण सीमा तीन लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए की जाएगी।
- **श्रम एवं रोजगार**: रेहड़ी-पटरी वाले दुकानदारों को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना को नया रूप दिया जाएगा ताकि 30,000 रुपए की सीमा वाले यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड, बैंक ऋण में वृद्धि और क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान की जा सके। आयुष्मान भारत के तहत गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रदान की जाएगी। पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर्स को दो करोड़ रुपए तक ऋण प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। आय में सुधार करने के लिए शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु एक और योजना लागू की जाएगी।
- **शिक्षा:** अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी और अगले पांच वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने का लक्ष्य है। 2014 के बाद शुरू हुए पांच आईआईटी में 6,500 से अधिक विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की सुविधा हेतु अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएंगी।

2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2025-26 का बजट अनुमान

- **कुल व्यय**: सरकार द्वारा 2025-26 में 50,65,345 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। इसमें 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 7.4% की वृद्धि है।
- 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में **राजस्व व्यय** में 6.7% और पूंजीगत व्यय में 10.1% की वृद्धि का अनुमान है। प्रमुख योजनाओं- मनरेगा और पीएम-किसान के लिए आवंटन 2024-25 के संशोधित अनुमान के समान है। सबसिडी पर खर्च 2024-25 के संशोधित अनुमान के समान रहने का अनुमान है। स्थापना व्यय (जिसमें पेंशन और वेतन शामिल है) पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 3% बढ़ने का अनुमान है।
- **कुल प्राप्तियां**: सरकारी प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) 34,96,409 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 11.1% अधिक है। इन प्राप्तियों और व्यय के बीच के अंतर को उधारी से पूरा किया जाएगा जिसका बजट 15,68,936 करोड़ रुपए होगा। यह लगभग 2024-25 के संशोधित अनुमान के समान है।
- **राज्यों को हस्तांतरण**: केंद्र सरकार 2025-26 में राज्यों को 25,59,764 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेगी जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 12.5% अधिक है। राज्यों को हस्तांतरण में 14,22,444 करोड़ रुपए का कर हस्तांतरण और 11,37,320 करोड़ रुपए का अनुदान शामिल है। इसके भीतर पूंजीगत व्यय ऋण के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
- **घाटा**: राजस्व घाटा जीडीपी के 1.5% पर लक्षित है जो 2024-25 के संशोधित अनुमान (जीडीपी का 1.9%) से कम है। 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.4% पर लक्षित है जो 2024-25 के संशोधित अनुमान (जीडीपी का 4.8%) से कम है। कम राजकोषीय घाटा 7.4% की व्यय वृद्धि की तुलना में प्राप्तियों में 11.1% की उच्च वृद्धि के कारण है।
- **जीडीपी वृद्धि का अनुमान**: 2025-26 में नॉमिनल जीडीपी 10.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है।

तालिका 2: बजट 2025-26 एक नज़र में (करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2023-24	बजटीय 2024-25	संशोधित 2024-25	बजटीय 2025-26	% परिवर्तन (2024-25 संअ से 2025-26 बअ)
राजस्व व्यय	34,94,252	37,09,401	36,98,058	39,44,255	6.7%
पूंजी व्यय	9,49,195	11,11,111	10,18,429	11,21,090	10.1%
इसमें से:					
पूंजी परिव्यय	7,88,100	9,18,695	8,47,736	8,95,246	5.6%
ऋण एवं अग्रिम	1,61,095	1,92,416	1,70,693	2,25,844	32.3%
कुल व्यय	**44,43,447**	**48,20,512**	**47,16,487**	**50,65,345**	**7.4%**
राजस्व प्राप्तियां	27,29,036	31,29,200	30,87,960	34,20,409	10.8%
पूंजी प्राप्तियां	59,768	78,000	59,000	76,000	28.8%
इसमें से:					
ऋण की वसूली	26,646	28,000	26,000	29,000	11.5%
अन्य प्राप्तियां (विनिवेश सहित)	33,122	50,000	33,000	47,000	42.4%
कुल प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर)	**27,88,804**	**32,07,200**	**31,46,960**	**34,96,409**	**11.1%**
राजस्व घाटा	7,65,216	5,80,201	6,10,098	5,23,846	-14.1%
जीडीपी का %	**2.6%**	**1.8%**	**1.9%**	**1.5%**	
राजकोषीय घाटा	16,54,643	16,13,312	15,69,527	15,68,936	0.0%
जीडीपी का %	**5.6%**	**4.9%**	**4.8%**	**4.4%**	
प्राथमिक घाटा	5,90,771	4,50,372	4,31,587	2,92,598	-32.2%
जीडीपी का %	**2.0%**	**1.4%**	**1.3%**	**0.8%**	

स्रोत: बजट एक नज़र में, केंद्रीय बजट दस्तावेज़ 2025-26; पीआरएस।

वह व्यय जो सरकार की संपत्ति या देनदारियों में परिवर्तन लाता है (जैसे सड़कों का निर्माण या ऋण की वसूली) वह पूंजीगत व्यय होता है, और अन्य सभी व्यय राजस्व व्यय हैं (जैसे वेतन का भुगतान या ब्याज भुगतान)। 2025-26 में **पूंजीगत व्यय** 2024-25 के संशोधित अनुमान से लगभग 10.1% बढ़ने की उम्मीद है। 2024-25 के संशोधित अनुमान से **राजस्व व्यय** 6.7% बढ़ने की उम्मीद है।

विनिवेश का अर्थ, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में अपनी हिस्सेदारी बेचना है। 2024-25 में सरकार को अपने विनिवेश लक्ष्य का 66% पूरा होने का अनुमान है। 2025-26 का विनिवेश लक्ष्य 47,000 करोड़ रुपए है, जोकि 2024-25 के बजटीय लक्ष्य (50,000 करोड़ रुपए) से कम है। लगातार पांचवें वर्ष विनिवेश लक्ष्य कम रहा है और इनमें से किसी में भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका है।

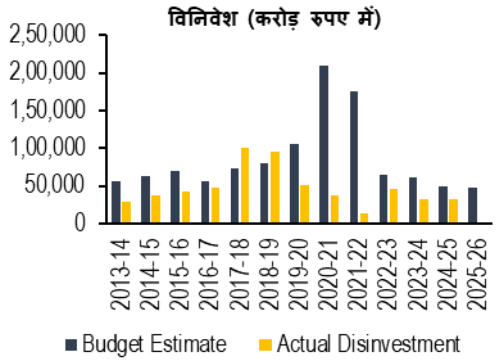

नोट: 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान वास्तविक के रूप में लिया गया है। स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़ (विभिन्न वर्ष); पीआरएस।

2025-26 के लिए प्राप्तियां

- 2025-26 में **प्राप्तियां** (उधारियों को छोड़कर) 34,96,409 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 11.1% अधिक है। यह मुख्य रूप से केंद्र के शुद्ध कर राजस्व में 11% की वृद्धि के कारण है।
- 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2025-26 में **सकल कर राजस्व** में 10.8% की वृद्धि का अनुमान है। यह 2025-26 में नॉमिनल जीडीपी में 10.1% की अनुमानित वृद्धि से अधिक है। 2025-26 के लिए निगम कर और आयकर 2024-25 के संशोधित अनुमान से क्रमशः 10.4% और 14.4% बढ़ने की उम्मीद है। 2025-26 के लिए जीएसटी राजस्व 2024-25 के संशोधित अनुमान से 10.9% बढ़ने का बजट है।
- 2025-26 में केंद्र के कर राजस्व से राज्यों को 14,22,444 करोड़ रुपए के **हस्तांतरण** का अनुमान है जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 10.5% अधिक है। 2024-25 में राज्यों को हस्तांतरण 12,47,211 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट अनुमान से 39,674 करोड़ रुपए अधिक होने का अनुमान है।
- **शुद्ध कर राजस्व** (करों में राज्यों की हिस्सेदारी को छोड़कर) 2025-26 में 28,37,409 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से लगभग 11% अधिक है। 2024-25 के संशोधित अनुमान के अनुसार शुद्ध कर राजस्व उस वर्ष के बजट अनुमान से मामूली 1% कम होने की उम्मीद है।
- **गैर-कर राजस्व** में मुख्य रूप से केंद्र द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाइसेंस शुल्क, टोल और सरकारी सेवाओं के लिए शुल्क शामिल हैं। 2025-26 में इसके 5,83,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 9.8% अधिक है। 2025-26 के लिए कुल बजटीय गैर-कर प्राप्तियों में लाभांश 55.7% होने का अनुमान है।
- **पूंजीगत प्राप्तियां** (उधारियों को छोड़कर) 76,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य है जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 28.8% अधिक है। 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान उस वर्ष के लिए बजटीय राशि से 24.4% कम है। विनिवेश लक्ष्य पूरा नहीं होने के कारण कम प्राप्तियां होने का अनुमान है।

तालिका 3: 2025-26 में केंद्र सरकार की प्राप्तियों का विवरण (करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2023-24	बजटीय 2024-25	संशोधित 2024-25	बजटीय 2025-26	% परिवर्तन (2024-25 संअ से 2025-26 बअ)
क. सकल कर राजस्व	**34,65,519**	**38,40,170**	**38,53,455**	**42,70,233**	**10.8%**
जिसमें					
निगम कर	9,11,055	10,20,000	9,80,000	10,82,000	10.4%
आय पर कर	10,44,756	11,87,000	12,57,000	14,38,000	14.4%
वस्तु एवं सेवा कर	9,57,208	10,61,899	10,61,899	11,78,000	10.9%
सीमा शुल्क	2,33,119	2,37,745	2,35,000	2,40,000	2.1%
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	3,05,362	3,19,000	3,05,000	3,17,000	3.9%
सेवा कर	425	100	100	100	0.0%
ख. राज्यों को हस्तांतरण	**11,29,494**	**12,47,211**	**12,86,885**	**14,22,444**	**10.5%**
ग. केंद्र का शुद्ध कर राजस्व	**23,27,251**	**25,83,499**	**25,56,960**	**28,37,409**	**11.0%**
घ. गैर-कर राजस्व	**4,01,785**	**5,45,701**	**5,31,000**	**5,83,000**	**9.8%**
जिसमें:					
ब्याज प्राप्तियां	38,261	38,224	34,042	47,738	40.2%
लाभांश	1,70,877	2,89,134	2,89,285	3,25,000	12.3%
अन्य गैर-कर राजस्व	1,88,568	2,14,389	2,03,427	2,05,668	1.1%
ङ. पूंजीगत प्राप्तियां (उधार के बिना)	**59,767**	**78,000**	**59,000**	**76,000**	**28.8%**
जिसमें:					
विनिवेश	33,122	50,000	33,000	47,000	42.4%
प्राप्तियां (उधार के बिना) (ग+घ+ङ)	**27,88,803**	**32,07,200**	**31,46,960**	**34,96,409**	**11.1%**
उधारियां	**16,54,643**	**16,13,312**	**15,69,527**	**15,68,936**	**0.0%**
कुल प्राप्तियां (उधारियों सहित)	**44,43,446**	**48,20,512**	**47,16,487**	**50,65,345**	**7.4%**

स्रोत: प्राप्ति बजट, केंद्रीय बजट दस्तावेज़ 2025-26; पीआरएस।

- **अप्रत्यक्ष कर**: 2025-26 में कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रह 17,35,100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार ने इसमें से 11,78,000 करोड़ रुपए जीएसटी से जुटाने का अनुमान लगाया है। कुल जीएसटी राजस्व में से 86% सीजीएसटी (10,10,890 करोड़ रुपए) से और 14% जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर (1,67,110 करोड़ रुपए) से आने की उम्मीद है।
- **कॉरपोरेशन टैक्स**: 2025-26 में कंपनियों से टैक्स कलेक्शन 10.4% बढ़ने की उम्मीद है।
- **आय पर कर**: 2025-26 में आय पर कर 14.4% बढ़ने की उम्मीद है। 2024-25 का संशोधित अनुमान वर्ष के बजट (11,87,000 करोड़ रुपए) से 5.9% अधिक है। 2025-26 के बजट में घोषित नए कर प्रस्तावों के परिणामस्वरूप सरकार को लगभग एक लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष कर राजस्व से वंचित होने की उम्मीद है।
- **गैर-कर प्राप्तियां**: 2025-26 में गैर-कर राजस्व 2024-25 के संशोधित अनुमान से 9.8% बढ़ने की उम्मीद है। 2024-25 में गैर-कर राजस्व बजट अनुमान से 3% कम होने का अनुमान है। यह मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियों के संशोधित अनुमान में कमी के कारण है। 2025-26 के लिए सड़कों और पुलों के उपयोग पर टोल का बजट 36,000 करोड़ रुपए है जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 44% अधिक है।

2025-26 के लिए व्यय

- 2025-26 में **कुल व्यय** 50,65,345 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 7.4% की वृद्धि है। इसमें से: (i) केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर 16,21,899 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है (2024-25 के संशोधित अनुमान से 7.2% अधिक), और (ii) केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर 5,41,850 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है (2024-25 के संशोधित अनुमान से 30.5% की वृद्धि)।
- 2024-25 के संशोधित अनुमान के अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर सरकारी व्यय उस वर्ष के बजट अनुमान से 90,622 करोड़ रुपए (17.9%) कम होने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना में कमी है।
- सरकार ने 2025-26 में पेंशन पर 2,76,618 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया है जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 0.6% अधिक है। इसके अलावा 2025-26 में ब्याज भुगतान पर खर्च 12,76,338 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो सरकार के कुल खर्च का 25.2% है। 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2025-26 में ब्याज भुगतान में 12.2% की वृद्धि की उम्मीद है। अन्य अनुदान, ऋण और हस्तांतरण (3,74,725 करोड़ रुपए) में पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष ऋण के रूप में 1,50,000 करोड़ रुपए शामिल हैं।

तालिका 4: 2025-26 में केंद्र सरकार के व्यय का विवरण (करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2023-24	बजटीय 2024-25	संशोधित 2024-25	बजटीय 2025-26	% परिवर्तन (2024-25 संअ से 2025-26 बअ)
केंद्रीय व्यय	**35,14,614**	**37,90,380**	**37,99,210**	**40,16,003**	**5.7%**
केंद्र का स्थापना व्यय	7,68,961	7,83,618	8,41,762	8,68,096	3.1%
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं	14,23,437	15,16,176	15,12,820	16,21,899	7.2%
अन्य व्यय	13,22,216	14,90,586	14,44,628	15,26,008	5.6%
जिसमें से ब्याज भुगतान	10,63,872	11,62,940	11,37,940	12,76,338	12.2%
केंद्र प्रायोजित योजनाएं एवं अन्य हस्तांतरण	**9,28,833**	**10,30,132**	**9,17,277**	**10,49,343**	**14.4%**
केंद्र प्रायोजित योजनाएं	4,44,547	5,05,978	4,15,356	5,41,850	30.5%
वित्त आयोग अनुदान	1,48,522	1,32,378	1,27,146	1,32,767	4.4%
इसमें:					
ग्रामीण स्थानीय निकाय	47,260	49,800	45,000	48,573	7.9%
शहरी स्थानीय निकाय	21,223	25,653	21,000	26,158	24.6%
आपदा प्रबंधन अनुदान	23,673	25,688	25,688	26,969	5.0%
हस्तांतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान	51,673	24,483	24,483	13,705	-44.0%
अन्य अनुदान	3,35,764	3,91,776	3,74,774	3,74,725	0.0%
जिसमें से राज्यों को पूंजीगत व्यय ऋण	1,09,554	1,50,000	1,25,000	1,50,000	20.0%
कुल व्यय	**44,43,447**	**48,20,512**	**47,16,487**	**50,65,345**	**7.4%**

स्रोत: बजट एक नज़र में, केंद्रीय बजट दस्तावेज़ 2025-26; पीआरएस।

मंत्रालयों द्वारा व्यय

2025-26 में आवंटन के मामले में शीर्ष 13 मंत्रालयों का अनुमानित कुल व्यय 53% है (तालिका 5)। इनमें से रक्षा मंत्रालय को 2025-26 में सबसे अधिक आवंटन 6,81,210 करोड़ रुपए का है, जो केंद्र सरकार के कुल बजट व्यय का 13.4% है। उच्च आवंटन वाले अन्य मंत्रालयों में शामिल हैं: (i) सड़क परिवहन और राजमार्ग (कुल व्यय का 5.7%), (ii) रेलवे (5.0%), और (iii) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (4.3%)।

तालिका 5: 2025-26 में मंत्रालय-वार व्यय (करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2023-24	बजटीय 2024-25	संशोधित 2024-25	बजटीय 2025-26	% परिवर्तन (2024-25 संअ से 2025-26 बअ)
रक्षा	6,09,504	6,21,941	6,41,060	6,81,210	6.3%
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	2,75,986	2,78,000	2,80,519	2,87,333	2.4%
रेलवे	2,45,791	2,55,393	2,55,348	2,55,445	0.0%
गृह मामले	1,96,872	2,19,643	2,20,371	2,33,211	5.8%
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	2,32,496	2,23,323	2,12,820	2,15,767	1.4%
ग्रामीण विकास	1,63,642	1,80,233	1,75,878	1,90,406	8.3%
रसायन एवं उर्वरक	1,91,165	1,68,500	1,86,653	1,61,965	-13.2%
कृषि एवं किसान कल्याण	1,18,147	1,32,470	1,41,352	1,37,757	-2.5%
शिक्षा	1,23,365	1,20,628	1,14,054	1,28,650	12.8%
संचार	1,11,339	1,37,294	1,50,201	1,08,105	-28.0%
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	83,149	90,959	89,974	99,859	11.0%
जल शक्ति	95,109	98,714	51,558	99,503	93.0%
आवासन एवं शहरी मामले	68,565	82,577	63,670	96,777	52.0%
अन्य मंत्रालय	19,28,316	22,10,838	21,33,030	23,69,358	11.1%
कुल व्यय	**44,43,447**	**48,20,512**	**47,16,487**	**50,65,345**	**7.4%**

स्रोत: व्यय बजट, केंद्रीय बजट 2025-26; पीआरएस।

- **रक्षा मंत्रालय**: 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2025-26 में आवंटन में 40,150 करोड़ रुपए (6.3%) की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में रक्षा सेवाओं के लिए पूंजी परिव्यय का आवंटन 1,80,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 12.9% अधिक है।
- **जल शक्ति मंत्रालय:** 2025-26 में आवंटन 47,945 करोड़ रुपए बढ़कर 99,503 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान 98,714 करोड़ रुपए की तुलना में 51,558 करोड़ रुपए था। यह कम खर्च मुख्य रूप से जल जीवन मिशन के कारण है (तालिका 7 देखें)।
- **ग्रामीण विकास मंत्रालय**: 2025-26 में ग्रामीण विकास के लिए आवंटन 14,527 करोड़ रुपए (8.3%) बढ़कर 1,90,406 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह मुख्य रूप से पीएमएवाई-ग्रामीण (जिसने 2024-25 में बजट कम खर्च किया गया) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए बढ़े हुए आवंटन के कारण है।
- **संचार मंत्रालय**: संचार के लिए आवंटन 2025-26 में 42,096 करोड़ रुपए (28%) घटकर 1,08,105 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह मुख्य रूप से बीएसएनएल में पूंजी निवेश के लिए कम आवंटन के कारण है।

सबसिडी पर व्यय

2025-26 में सबसिडी पर कुल खर्च 2024-25 के संशोधित अनुमान (तालिका 6) के समान 4,26,216 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2025-26 में खाद्य सबसिडी 2,03,420 करोड़ रुपए और उर्वरक सबसिडी 1,67,887 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो कुल सबसिडी का 87% है। एलपीजी सबसिडी कुल सबसिडी में 3% है।

तालिका 6: 2025-26 में सबसिडी (करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2023-24	बजटीय 2024-25	संशोधित 2024-25	बजटीय 2025-26	% परिवर्तन (2024-25 संअ से 2025-26 बअ)
खाद्य सबसिडी	2,11,814	2,05,250	1,97,420	2,03,420	3.0%
उर्वरक सबसिडी	1,88,292	1,64,000	1,71,299	1,67,887	-2.0%
ब्याज सबसिडी	19,516	29,550	28,156	27,840	-1.1%
एलपीजी सबसिडी	12,240	11,925	14,700	12,100	-17.7%
अन्य सबसिडी	3,037	17,698	16,294	14,969	-8.1%
कुल	**4,34,899**	**4,28,423**	**4,27,868**	**4,26,216**	**-0.4%**

स्रोत: व्यय प्रोफ़ाइल, केंद्रीय बजट 2025-26; पीआरएस।

प्रमुख योजनाओं पर व्यय

तालिका 7: 2025-26 में योजनावार आवंटन (करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2023-24	बजटीय 2024-25	संशोधित 2024-25	बजटीय 2025-26	% परिवर्तन (2024-25 संअ से 2025-26 बअ)
मनरेगा	89,154	86,000	86,000	86,000	0.0%
जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	69,992	70,163	22,694	67,000	195.2%
पीएम-किसान	61,441	60,000	63,500	63,500	0.0%
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण	21,770	54,500	32,426	54,832	69.1%
समग्र शिक्षा	32,830	37,500	37,010	41,250	11.5%
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	33,043	36,000	36,000	37,227	3.4%
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी	21,684	30,171	15,170	23,294	53.6%
संशोधित ब्याज सहायता योजना	14,252	22,600	22,600	22,600	0.0%
सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0	21,810	21,200	20,071	21,960	9.4%
नई रोजगार सृजन योजना	-	10,000	6,799	20,000	194.1%
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना	-	6,250	11,100	20,000	80.2%
राष्ट्रीय आजीविका मिशन - आजीविका	13,934	15,047	15,047	19,005	26.3%
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	15,380	19,000	14,500	19,000	31.0%

नोट: सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में अंब्रेला आईसीडीएस- आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोर लड़कियों के लिए योजना

स्रोत: व्यय प्रोफ़ाइल, केंद्रीय बजट 2025-26; पीआरएस।

- मनरेगा का आवंटन 2025-26 में सबसे अधिक, 86,000 करोड़ रुपए है। यह राशि 2024-25 के संशोधित अनुमान के समान है। पीएम किसान के लिए 63,500 करोड़ रुपए का आवंटन भी अपरिवर्तित है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण और शहरी घटकों को मिलाकर 2025-26 में 78,126 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 64% अधिक है। 2024-25 में इस योजना पर बजट अनुमान की तुलना में 44% कम खर्च होने की उम्मीद है।
- जल जीवन मिशन के लिए 2025-26 में 67,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। 2024-25 में 22,694 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान बजट अनुमान (70,163 करोड़ रुपए) से काफी कम है।
- **नई योजनाएं**: नई योजनाओं के लिए आर्थिक मामलों के विभाग को 41,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं (विवरण उपलब्ध नहीं है)। 2024-25 में इस मद में 62,593 करोड़ रुपए का बजट था लेकिन 9,068 करोड़ रुपए ही खर्च होने का अनुमान है।

पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों द्वारा ऋण

- केंद्र ने 2025-26 में पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। 2024-25 में भी इतनी ही राशि का बजट रखा गया था जिसे संशोधित अनुमान में घटाकर 1,25,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उप योजनाओं और महिलाओं, बच्चों और पूर्वोत्तर क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय

- महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों को 2025-26 में 5,65,161 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जिसमें 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 18.5% की वृद्धि है। इन आवंटनों में सभी मंत्रालयों में कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रम शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन बढ़ने से महिलाओं के कल्याण के

तालिका 8: महिलाओं, बच्चों, एससी, एसटी और एनईआर के लिए आवंटन (करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2023-24	संशोधित 2024-25	बजटीय 2025-26	% परिवर्तन (2024-25 संअ से 2025-26 बअ)
महिला कल्याण	3,84,500	3,76,529	4,49,029	19.3%
बच्चों का कल्याण	89,323	1,00,445	1,16,133	15.6%
अनुसूचित जाति	1,33,658	1,38,363	1,68,478	21.8%
अनुसूचित जनजाति	1,05,177	1,07,874	1,29,250	19.8%
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	91,785*	87,736	1,05,833	20.6%

नोट: *2023-24 के आंकड़े वर्ष के लिए संशोधित अनुमान हैं।

स्रोत: व्यय प्रोफ़ाइल, केंद्रीय बजट 2025-26; पीआरएस।

लिए आवंटन में वृद्धि का अनुमान है। आवास योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को घर की मालिक या सह-मालिक होना चाहिए।

- समग्र शिक्षा और पीएम-एसएचआरआई योजना के तहत स्कूली शिक्षा के लिए अधिक आवंटन के कारण बाल कल्याण के लिए आवंटन बढ़ने का अनुमान है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बढ़े हुए आवंटन के कारण अनुसूचित जातियों के लिए आवंटन अधिक होने का अनुमान है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के लक्ष्य

राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) एक्ट, 2003 के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि केंद्र सरकार बकाया ऋण, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को धीरे-धीरे कम करेगी। एक्ट सरकार को तीन वर्ष का आवर्ती लक्ष्य देता है। उल्लेखनीय है कि मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य में 2021-22 के बाद से बजट घाटे के लिए रोलिंग लक्ष्य प्रदान नहीं किए गए हैं।

राजकोषीय घाटा उन उधारियों का संकेत देता है जिनसे सरकार अपने व्यय को वित्त पोषित करती है। 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.4% पर लक्षित है।

राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच का अंतर होता है। इसका यह अर्थ होता है कि सरकार को अपना व्यय पूरा करने के लिए उधार लेने की जरूरत है जिनसे भविष्य में प्राप्तियां नहीं हो सकतीं। 2025-26 के लिए अनुमानित राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5% है।.यह 2024-25 के संशोधित अनुमान (जीडीपी का 1.9%) से कम है। 2025-26 में राजस्व प्राप्तियां 10.8% बढ़ने का अनुमान है, जबकि राजस्व व्यय 6.7% बढ़ने का अनुमान है। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि आयकर, जीएसटी और कॉरपोरेट टैक्स के कारण है जिनके क्रमशः 14.4%, 10.9% और 10.4% बढ़ने का अनुमान है।

तालिका 9: घाटे के लिए एफआरबीएम लक्ष्य (जीडीपी के % के रूप में)

	वास्तविक 2023-24	संशोधित 2024-25	बजटीय 2025-26
राजकोषीय घाटा	5.6%	4.8%	4.4%
राजस्व घाटा	2.6%	1.9%	1.5%
प्राथमिक घाटा	2.0%	1.3%	0.8%

स्रोत: मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति वक्तव्य, केंद्रीय बजट 2025-26; पीआरएस।

प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतानों के बीच का अंतर होता है। 2025-26 में यह जीडीपी का 0.8% अनुमानित है।

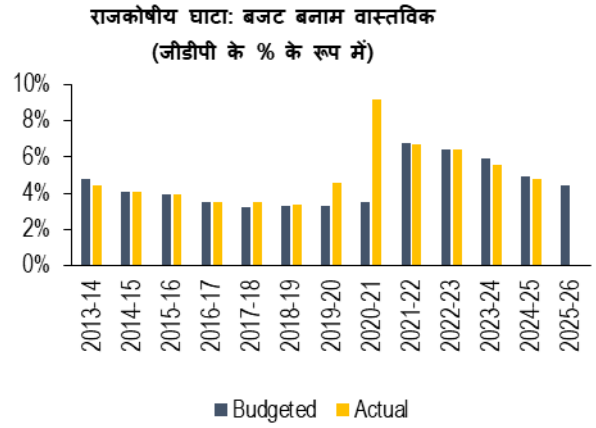

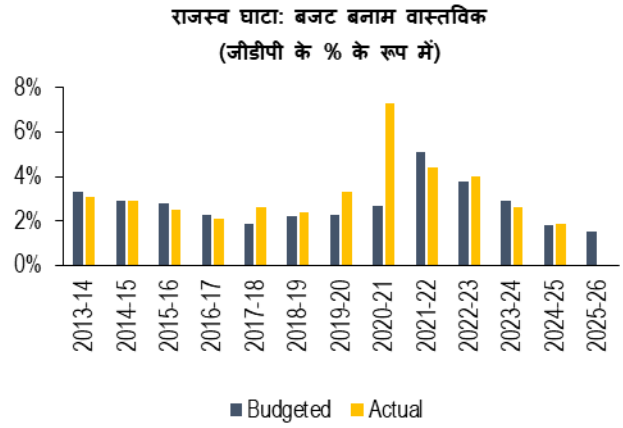

नोट: 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान वास्तविक के रूप में लिया गया है।
स्रोत: बजट एक नज़र में, केंद्रीय बजट (विभिन्न वर्ष); पीआरएस।

- **बकाया ऋण** कई वर्षों की उधारियों का संग्रह होता है। अधिक ऋण का अर्थ यह होता है कि सरकार पर आने वाले वर्षों में ऋण चुकाने का अधिक बड़ा दायित्व है।
- 2025-26 में केंद्र की बकाया देनदारियां जीडीपी का 56.1% होने का अनुमान है। बकाया देनदारियां 2013-14 में जीडीपी के 52% से घटकर 2018-19 में जीडीपी का 49% हो गई थीं। 2019-20 के बाद से बकाया देनदारियां बढ़ गईं, जो 2020-21 में जीडीपी के 61% के उच्च स्तर तक पहुंच गईं और उसके बाद कम हो गईं। सरकार का लक्ष्य मार्च 2031 तक बकाया देनदारियों को जीडीपी के लगभग 50% तक कम करना है।
- राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान 2013-14 में 37% से बढ़कर 2020-21 में 42% हो गया। 2025-26 में यह राजस्व प्राप्तियों का 37% होने का अनुमान है।

बकाया देनदारियां (जीडीपी के % के रूप में)

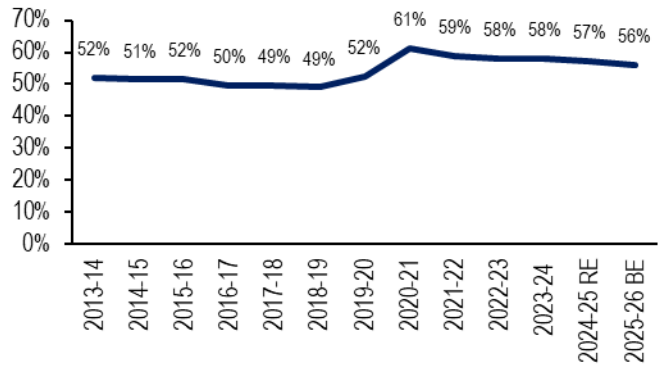

राजस्व प्राप्तियों के % के रूप में ब्याज भुगतान

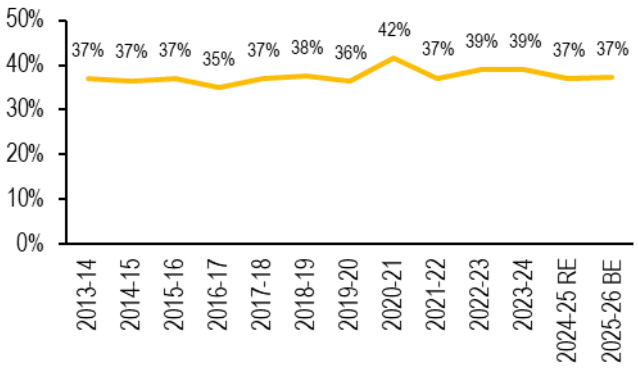

नोट: RE संशोधित अनुमान है और BE बजट अनुमान है।

स्रोत: हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, आरबीआई; एमओएसपीआई, केंद्रीय बजट दस्तावेज़ 2025-26; पीआरएस।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार की गई है। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी की मूल रिपोर्ट से इसकी पुष्टि की जा सकती है।